DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

GENERAL INFORMATION RELATING TO LEGISLATIVE & OTHER MATTERS)
Thursday the 24th August 2000/Bhadrapada 2,1922(SaMa)

No. 103

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from the SHO, Police Station, Mehrauli, New Delhi/South District Police Control Room:-

"Shri Subhash Chopra, MiA, Shri Tek Chand Sharma, MiA and Shri Mahender Singh Bhattewala, were detailed by the Police under section 65 of the D.P. Act at Police Station, Mehrauli at 1350 Hrs. on 17/8/2000 for discobeying the lawful directions of the Police at Andheria Mode.

They were released at 1620 Hrs. from the same place and on the same day i.e. 17/8/2000.

S.K. SHARMA SECRETARY

.3-

दिल्ली विधान सभा सन्विवालय

समाचार भाग-2

१ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारो १ बृहस्पतिवार 24 अगस्त, 2000/भाद्रपद 2, 1922१ शक्र

सख्या: 103

सदस्यों को नजरबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दि वि सभा को संबोधित थाना महरौलो, दिल्ली/ दक्षिणी जिला पुलिस कंट्रोल रूम का निम्न लिखित संदेश प्राप्त हुआ:-

" दि वि स के माननीय सदस्यों सर्व श्री सुभाष वो पड़ा, टेकवन्द शर्मा तथा महेन्द्र सिहं भटटेवाला को दिना व 17 8 2000 को समय 13 50 बंजे दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अन्तंगत पुलिस के विधि सम्बत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण थाना महरोलों द्वारा अविरिया मोड़ से नजरबन्द किया गया।

उन्हें वहां से उसी दिन अर्थाय 17.8.2000 को समय 1620 बजे रिहा कर दिया गया ।"

> एस • के • शर्मा सन्विव